




96



निज - 3220 - I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-दतिया

1- अतर सिंह पुत्र श्री वृन्दावन

2- फूल सिंह पुत्र श्री वृन्दावन

3- कोमल सिंह पुत्र श्री वृन्दावन

निवासीगण - लखनपुर तहसील व
जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

शिवनारायण पुत्र श्री भगवानदास
लोधी निवासीगण - ग्राम लखनपुर
तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदक

20/9/16

20/9/16

रामेश चण्डेसकर
अधीनस्थ

20/9/16

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बसई, तहसील व जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त बसई, तहसील व जिला दतिया के समक्ष भूमि खसरा क्र. 545, 599 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक, वृत्त बसई, तहसील व जिला दतिया द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 07/अ-12/2015-16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 17.06.2016 को सीमांकन आदेश पारित किया। अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक, वृत्त बसई, तहसील व जिला



m

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3220-एक/16

जिला - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p> <u>अनुविभागीय अधिकारी दतिया</u></p>	